

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-105/15  
संस्थापित दिनांक-27.06.2015**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- राजपाल पुत्र इमरत लाल लोधी उम्र 41 साल निवासी- ग्राम मोहरी थाना पिपरई जिला अशोकनगर .....आरोपी

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित)**

**01-** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 08.04.2015 को समय 00:45 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुरानी कचहरी के पास स्थित फरियादी नारायण रेकवार के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रक्षन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी नारायण की मृत्यु होने से उसकी सपना द्वारा दिनांक **17.10.2016** को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया था जो विधि अनुसार शमनिय न होने से निरस्त किया गया।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी नारायण ने थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 08.04.2015 को करीब 00:45 बजे की बात है वह अपनी पत्नी सपना के साथ कमरे में सो रहा था, गेट में पर्दा डला था और लाइट जल रही थी। आवाज सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुल गई वह चिल्लाई पकड़ो पकड़ो चोर है, आवाज सुनकर उसकी भी नींद खुल गई तो देखा कि एक आदमी उसके कमरे बाहर की तरफ भागा तो आवाज सुनकर उसका भाई **सोमा, भैयन पाल, जीवन पाल** उठ गये, उन सब ने भाग कर पीछा करके मैदान गली में चोर को पकड़ लिया, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामपाल लोधी निवासी मोहरी बताया। रामपाल लोधी उसके घर में चोरी करने के लिये घुसा था जिसे पकड़कर वे सब थाने ले गये और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना

स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्त को आरोपित धारा के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झूठा फसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—**

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.04.2015 को समय 00:45 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुरानी कचहरी के पास स्थित फरियादी नारायण रेकवार के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रक्षन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया ?
----	---

### : : सकारण निष्कर्ष : :

**06—** अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। सपना अ0सा01 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपी को जानती है। घटना दिनांक को वह रात में घर पर सो रही थी। रात करीब 12—1 बजे कोई अनजान व्यक्ति उसके घर में चोरी करने की नियत से आया था, कौन व्यक्ति आया था वह नहीं जानती और न ही उसने उस व्यक्ति को देखा था। सपना अ0सा01 ने बताया कि वह अज्ञात व्यक्ति को देखकर चिल्लाई तो उसके पति नारायण और अरविन्द आ गये, इसके अलावा अन्य लोग भी इकट्ठा हो गये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि वह उस व्यक्ति नाम नहीं बता सकती जो उनके घर चोरी करने घुसा था। उक्त साक्षी का कहना है कि उक्त घटना की रिपोर्ट उसके पति ने लेख कराई थी जिनकी मृत्यु डेड साल पहले हो गई है।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा सपना अ0सा01 से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि न्यायालय उपस्थित आरोपी राजपाल उसके घर पर चोरी करने की नियत से रात्रि में घुस आया था, साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा था और न ही वह उसे पहचान सकती है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्र. पी.1 का कथन देते समय आरोपी राजपाल लोधी का नाम लेखबद्ध कराया था पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती।

**08—** अभियोजन साक्षी सोभाराम अ0सा02, श्रीमति चन्दनबाई अ0सा03, अरविन्द अ0सा04, जीवनलाल अ0सा05 ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वे आरोपी को नहीं जानते हैं। फरियादी नारायण को जानते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। उक्त

समस्त साक्षीगण ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि आरोपी राजपाल घर में चोरी की नियत से रात में घुस आया था। साक्षी चन्दनबाई अ0सा03, अरविन्द अ0सा04, जीवनलाल अ0सा05 ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी का पीछा करने पर उसे पकड़ लिया था। इस बात से भी इंकार किया कि पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजपाल होना बताया था। साक्षी शोभाराम अ0सा02, श्रीमति चन्दनबाई अ0सा03, अरविन्द अ0सा04, जीवनलाल अ0सा05 ने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 2, 3, 5 के ए से ए भाग पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**09—** विवेचना अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह अ0सा06 ने उसके कथनों में बताया कि वह दिनांक 08.04.15 को थाना चंदेरी में सहायक उप निरीक्षक पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक अ0क0 104/15 धारा 457 भा0द0वि0 की केस डायरी विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसक द्वारा फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.6 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे और आरोपी को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि फरियादी नारायण साक्षी चन्दनबाई, अरविन्द, भैयन, जीवनलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख नहीं किये, किन्तु साक्षी सपना चन्दनबाई, शोभाराम, अरविन्द, जीवनलाल ने उनके पुलिस कथन का ए से ए भाग न देना व्यक्त किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसके अलावा प्रकरण का फरियादी नारायण रैकवार की भी प्रकरण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने से उसके साक्ष्य का अभाव है।

**10—** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षी सपना अ0सा01, शोभाराम अ0सा02, चन्दन बाई अ0सा03, अरविन्द पाल अ0सा04, जीवनलाल अ0सा05 ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा उक्त साक्षीगण ने आरोपी राजपाल रात में घर में घुस आया था। उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी राजपाल को पकड़ लिया था और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजपाल होना बताया था। इसके विपरीत सपना अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस आया था किन्तु वह व्यक्ति आरोपी राजपाल नहीं था।

**11—** उपरोक्तानुसार किये गये विषलेशन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 08.04.2015 को समय 00:45 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी पुरानी कचहरी के पास स्थित फरियादी नारायण रैकवार के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रक्षन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया। अतः आरोपी राजपाल पुत्र इमरत लाल लोधी को विरुद्ध धारा 457 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**12—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**13—** प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

**14—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0